झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—672/2019— 55/18-195 खी /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **गढ़वा जिलान्तर्गत उत्तमाही सिंचाई योजना के मुख्य नहर का पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 1148.17 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख सत्रह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़वा जिलान्तर्गत उत्तमाही सिंचाई योजना के मुख्य नहर का पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 1148.17 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अड़तालीस लाख सत्रह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उत्तमाही सिंचाई योजना के एक मात्र दांयी मुख्य नहर निकलती है। मुख्य नहर की कुल लम्बाई 6.69 कि०मी० है। मुख्य नहर चार Reaches में है। पहला Reach 0.00 कि०मी० से 2.07 कि०मी० तक, दूसरा Reach – 2.07 कि०मी० से 3.45 कि०मी० तक, तीसरा Reach – 3.45 कि०मी० से 5.07 कि०मी० तक एवं चौथा Reach – 5.07 कि०मी० से 6.69 कि०मी० तक है।

4. कराये जाने वाले कार्यों की अवयववार विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	Residual Earthwork of canal	17457138.91
2	Lining of Canal	71466501.72
3	Repair & Maintenance of outlet (17 nos. of 6" dia. and 5 nos. of 9" dia.)	781504.40
4	Repair of fall (13 nos.)	3144983.40
5	Repair of SLR Bridge (1 no.)	263482.37
6	Repair of Road Culvert (6 nos.)	1602632.70
7	Construction of SLR Bridge (1 no.)	2032269.11
8	Repair and maintenance of Super Passage (2 nos.)	698192.30
8	Construction of R.C.C. Culvert (2 nos.)	3058709.86
	Total :-	**100505414.77**
	Add : GST - 12%	12060649.77
	Total :-	**112566064.54**
	Add : 0.50% A Preliminary + 0.50% for Contingency	1125660.65
	Add : Labour Cess - 1%	1125660.65
	Grand Total :-	**114817385.83**
	Say :-	**Rs. 1148.17 lakh**

5. इस प्राक्कलन में नहरों का P.C.C. Lining कार्य करने का प्रावधान है। मुख्य नहर के चेन सं०– 55.00 (1.65 कि०मी०) पर एक नया SLR Bridge, मुख्य नहर में तेरह फॉल क्रमश– चेन सं०– 2.10 कि०मी०, चेन सं०– 2.79 कि०मी०, चेन सं०– 3.04 कि०मी०, चेन सं०– 3.35 कि०मी०, चेन सं०– 3.50 कि०मी०, चेन सं०– 3.83 कि०मी०, चेन सं०– 4.34 कि०मी०, चेन सं०– 4.52 कि०मी०, चेन सं०– 5.04 कि०मी०, चेन सं०– 5. 50 कि०मी०, चेन सं०– 5.80 कि०मी०, चेन सं०– 6.10 कि०मी० एवं चेन सं०– 6.48 कि०मी० का मरम्मति कार्य, एक पुराना SLR Bridge चेन सं०– 0.98 कि०मी० का मरम्मति कार्य, Road Culvert एवं सुपर पैसेज का मरम्मति कार्य का प्रावधान है।

6. इस पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त 607.28 हे० क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगा और लगभग 160 हे० सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

7. यह कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर जून 2020 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

8. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

9. पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड–4701-80-800-54-05-45)

12. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

31.1.19
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–672/2019– 55/18-19 पु॰ख॰/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–672/2019– 55/18-19 पु॰ख॰/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–672/2019– 55/18-19 पु॰ख॰/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–672/2019– 55/18-19 पु॰ख॰/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–672/2019– 55/18-19 पु॰ख॰/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)